

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रीतम कुमार IAS

प्रकरण सं० : 18/2024

अनवान :

महेश कस्वा पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी चोबारा तहसील भादरा।

:- वादी


बनाम

1. साहबराम पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी चोबारा तहसील भादरा।
2. पूजा पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी चोबारा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री लीलाधर एवं वकील प्रतिवादीगण श्री कृष्ण भारी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चोबारा के खाता सं० 45/51 के खसरा सं० 10 की 3.542है०, ख०सं० 210 की 3.4910 है०, ख०सं० 270/209 की 1.3920है० की कुल 8.4250है० वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 साहबराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषिभूमि में प्रतिवादी सं० 1 साहबराम का नाम कलमजन कर वादी महेश कस्वा को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादी महेश कस्वा के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.02.24..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



Preetam

(प्रीतम कुमार) I.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़